

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:-प.7(12)नविवि/3/2011

जयपुर, दिनांक: 15 DEC 2021

—:अधिसूचना:—

विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08.03.2011 से राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम-1970 की धारा-27 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान आवासन मण्डल ने कस्बा सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर की 33.657 हेक्टेयर भूमि सम्मिलित करते हुए आवासीय योजना बनाये जाने निर्णय लिया गया था, इस योजना की सीमायें निम्नानुसार हैं:-

- | | |
|---------------|--------------------------------------|
| 1. पूर्व में | नेशनल हाईवे संख्या 15 |
| 2. पश्चिम में | इसी ग्राम के खसरा नं. 328, 342 व 345 |
| 3. उत्तर में | इसी ग्राम के खसरा नं. 353 व 355 |
| 4. दक्षिण में | इसी ग्राम के खसरा नं. 355/6 |

उक्त प्रस्तावित भूमि का मास्टर प्लान में अन्य भू-उपयोग होने के कारण और 10 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा योजना बनाने की कार्यवाही नहीं किये जाने पर व्यापक जनहित को देखते हुए राज्य सरकार के सक्षम स्तर से लिये गये निर्णयानुसार पूर्व में जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08.03.2011 को एतद्वारा प्रत्याहरित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

६०

(नवनीत कुमार)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन से संबंधित कार्यवाही व वेबसाइट पर अपलोड करवाये जाने हेतु प्रेषित है।
5. रक्षित पत्रावली।

15/12/2021

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय